

प्रेषक,

रणविजय सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल,2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना के लिये लेखानुदान अवधि हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14/पि0व0क0/2017-18, दिनांक 07 अप्रैल,2017,पत्र संख्या-37/पि0व0क0/2017-18,दिनांक 12 अप्रैल,2017 तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017,दिनांक 02 जनवरी,2017 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017,दिनांक 20 मार्च,2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत व्यवस्थित अन्तरिम धनराशि रू0 125.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु आवश्यक धनराशि रू0 16,66,000/- (रूपये सोलह लाख छ्छट हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उपरिसंदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017,दिनांक 02 जनवरी,2017 एवं शासनादेश संख्या:3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017,दिनांक 20 मार्च,2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(2) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनाबंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(4) पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना हेतु व्यय प्रचलित नियमों/प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत अघतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

--- 2 ---

(5) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(6) इस संबंध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रतर निर्देश आपके स्तर से जारी किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-08-पिछड़े वर्गों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017,दिनांक 02 जनवरी,2017 एवं शासनादेश संख्या:3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017,दिनांक 20 मार्च,2017 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
( रणविजय सिंह )  
संयुक्त सचिव ।

संख्या-06/2017/151 (1)/64-2-2017-1(16)/2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,30प्र0शासन ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
( रणविजय सिंह )  
संयुक्त सचिव ।